



प्रेस विज्ञप्ति
22.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स गोल्डन संधार मिल्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती मेसर्स वाहिद संधार शुगर मिल्स लिमिटेड) और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.08.2025 को पंजाब राज्य भर में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सतर्कता ब्यूरो पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

जांच के दौरान, यह पता चला है कि मेसर्स गोल्डन संधार मिल्स लिमिटेड के निदेशकों और प्रमोटरों ने तत्कालीन कपूरथला राज्य के महाराजा जगतजीत सिंह द्वारा चीनी मिल चलाने के उद्देश्य से आबंटित मुआफी भूमि को अवैध रूप से बेच दिया और गिरवी रख दिया, जिससे अपराध के भारी आगम अर्जित हुए।

तलाशी अभियान के दौरान, वित्तीय सुराग स्थापित करने और कार्यप्रणाली का खुलासा करने में महत्वपूर्ण विभिन्न अपराध-संकेती रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिनमें तत्कालीन महाराजा जगतजीत सिंह द्वारा किए गए 1933 के मूल समझौते की प्रति, साथ ही बाद के समझौते और दस्तावेज़ शामिल हैं जो नकली निदेशकों की संलिप्तता का संकेत देते हैं।

आगे की जाँच जारी है।